सं0– 104 /XXIV-4/2010-10(16)2010

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनःदिनांकः 18 फरवरी 2010.

विषयः– ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–47420/5ख (12) /बालि0 वि0सु0/2008–09 दिनांक 18 मार्च 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु निम्नवत् विवरणानुसार कुल रू0 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार) की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निर्वतन में रखी गयी धनराशि रू0 2.40 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि रूपयें में)

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	प0इ0का0 चौखाल, पौड़ी गढ़वाल	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1,50,000/–
		योगः–	1,50,000/–

(1)– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा ।

(2)– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। उक्त कार्य प्रत्येक दशा में

इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर शतप्रतिशत वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4)– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(5)– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें ।

(6)– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(7)– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जांए।

(8)– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/xiv–219 (2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(8)– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–110–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–04–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–0402–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

3– आगणन की एक प्रति सम्बन्धित निर्माण ईकाई को उपलब्ध करायी जाय। आगणनों के अनुसार निर्माण ईकाई निर्माण कार्यो को सम्पादित करेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 691/(p)XXVII(3) 09-10 दिनांक 9–2–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

सलग्नक–उपर्युक्त।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या 104 (1) XXIV-4/2010 तद्दिनांक।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।

4. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
5. कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
10. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उपसचिव।